In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition
12	13
Promotion : Junior Investigators with five years reglar service in the grade and possessing Bachelor's degree with Mathematics or Economics or Statistics as a subject from a recognised University or equivalent. Transfer on Deputation : Officers under the Central Government,— (a)(i) holding analogous posts; or (ii) with five years regular service in posts in the scale of Rs. 1400—2300 or Rs. 1400—2600 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of application.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation) 1. Director General, Central Statistical Organisation, New Delhi— Chairman. 2. Director/Head(NAD), Central Statistical Organisation, New Delhi— Member 3. Deputy Secretary, Department of Statistics, New Delhi— Member. Note.—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the departmental, Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
14
Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. B-12011/1/91-Ad. II]
D.S. SETHI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1994

सा.का.नि. 543:—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात्:

1 (1) इन नियमों का नाम स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम 1994 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक औषधि और मनःपदार्थ नियमावली 1985 में, नियम 6 में, "पांच रुपए" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस रुपए" शब्दों को रखा जाएगा।

[फा.सं. 616/13/94-ओ.पी.आई.यू.एम.]
एस. कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियमों को दिनांक 14 नवम्बर, 1985 की सा.का.नि.स. 837(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था। और इसके बाद इन्हें दिनांक 26-10-92 के का. आ. सं. 786 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th October, 1994

G.S.R. 543.—In exercise of the powers conferred by Section 9, read with Section 76 of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central

Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in rule 6, for the words "rupees five", the words "rupees twenty five" shall be substituted.

[F. No. 616/13/94-OPIUM]
S. KUMAR, Under Secy.

Note.—The principal rules were published vide G.S.R. 837(E) dated 14th November, 1985 and Subsequently amended vide S.O. 786(E) dated 26-10-1992.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1994

सा.का.नि. 544:—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बाह्य पद (बजट प्रभाग) भर्ती नियमावली, 1963 जहां तक उनका संबंध अनुभाग अधिकारी के पद से है सिवाय ऐसे और उनसे संबंधित भाग के जो अधिक्रमण से पूर्व किये जा चुके है या किये जाने के लिए छोड़ गये है का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अनुभाग अधिकारी (बाह्य) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते है :—

1. (1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, अनुभाग अधिकारी (बाह्य) भर्ती नियम, 1994 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान—उपर्युक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतनमान इन नियमों से जुड़ी अनुसूची के कालम-2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

3. भर्ती की विधि, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं इत्यादि—उपर्युक्त पद से संबंधित भर्ती की विधि, आयु सीमा अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कालम 5 से 11 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. अनर्हताएं—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह या संविदा किया है जिसकी एक पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह या संविदा किया है,

उपर्युक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्र सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह से संबंधित दूसरे पक्ष के संबंध में लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत ऐसा विवाह अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी है, इस नियम के परिप्रचालन से किसी भी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

5. छूट देने की शक्ति—जहां केन्द्र सरकार यह समझती है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वह आदेश द्वारा, कारणों को लिपिबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से विचारविमर्श के पश्चात, किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों को इन नियमों के किसी प्रावधान में छूट प्रदान कर सकती है।

6. अपवाद—इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों भूतपूर्व सैनिकों एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये अनुदेशों के अनुरूप विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को दी जाने वाली आरक्षण, आयुसीमा में छूट तथा अन्य छूटों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	विवरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा में जोड़ गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है
1	2	3	4	5	6
अनुभाग अधिकारी (बाह्य)	6* (1994)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अनुसचिवीय	2375-75-3200-द.रो 100-3500	लागू नहीं होता	नहीं

*कार्य की घट-बढ़ की शर्त के अधीन